न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 86/2017 (225 आरटीए) लिछूराम वगै. बनाम राजस्थान सरकार वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00231)

1 लिछूराम पुत्र श्री सावंताराम,
2 छोटूराम पुत्र श्री सावंताराम,
3 धोकलराम पुत्र श्री सावंताराम,
4 भूराराम पुत्र श्री सावंताराम के कायम मुकाम :–
4/1 बीरमा पुत्री स्व. भूराराम,
4/2 सुवटी पुत्री स्व. भूराराम,
4/3 रामरखराम पुत्र स्व. भूराराम,
4/4 जगदीशराम पुत्र स्व. भूराराम,
4/5 किशनाराम पुत्र स्व. भूराराम
जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर।

..... अपीलांटस्

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बाप।
2 सहायक अभियंता जो.वि.वि.नि.लि. बाप, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर बाप
दिनांक 11.07.2017 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 4/2017

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई।
2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
3 रेस्पो. सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 28.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर बाप के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 4/2017 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम कानासर के खसरा नं. 1711 रकबा 124 बीघा, खसरा नं. 1715 रकबा 36 बीघा स्थित है तथा इस भूमि के चिपते ही पड़ौस में खसरा नं. 1713 रकबा 212 बीघा 8 बिस्वा भूमि किस्म गै.मु. मगरा स्थित

28/9

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। अपीलार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1711 व 1715 तथा उसके पड़ोस में चिपते ही खसरा नं. 1713 की विधिवत पैमाइस आज दिन तक नहीं हुई है व मौके पर भूमि एक ही चक के रूप में स्थित है। रेस्पोडेंट द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपीलार्थी की खातेदारी भूमि को खसरा नं. 1713 मानकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया तब अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188, 88 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश किया तथा वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर निर्णित कर दिया है, अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के सिद्धांतों पर गौर किए बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया है अपीलांट्स के अधिवक्ता की गलत उपस्थिति अंकित की गई है। प्रकरण को लोक अदालत में खारिज कर दिया है जबकि लोक अदालत में केवल वे प्रकरण ही निस्तारित किए जा सकते हैं जिनमें पक्षकारान राजीनामा से प्रकरणों के निस्तारण के लिए सहमत हों। इस प्रकरण में अपीलांट्स को लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रकरण में नैसर्गिक न्यायिक सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो खारिज योग्य है। अपीलांट्स का अपनी खातेदारी की भूमि पर ही कब्जा काश्त है लेकिन खसरा नं. 1711, 1715 व 1713 की विधिवत पैमाइस नहीं हुई है व पटवारी हल्का अपीलांट्स का कब्जा खसरा नं. 1713 में मानकर धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत नोटिस दे रहे हैं जबकि विधिवत पैमाइस की जाती तो अपीलार्थी का खसरा नं. 1713 में कोई कब्जा काश्त नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र बिना कोई आधार बताये खारिज कर दिया है जबकि प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन अपीलांट्स के पक्ष में था। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर एवं अपीलांट्स/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

28/9

5 रेस्पो. सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम चौधरी ने बहस में कथन किया कि अपीलांट को उसकी खातेदारी भूमि के लिए विद्युत कनेक्शन जारी किया हुआ है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय पारित करने के लिए निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि ग्राम कानासर में स्थित खेत खसरा नं. 1713 रकबा 212 बीघा 8 बिस्वा किस्म गै.मु. मगरा राजस्व रिकार्ड में दर्ज जो सरकारी खाते में (राजकीय भूमि) है। प्रार्थीगण/अपीलांट इस खसरे की 150 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा करके अतिक्रमण कर लिया था एवं जिसके विरुद्ध राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत कार्यवाही कर भौतिक रूप से बेदखल किया जा चुका है। प्रार्थीगण/अपीलांट्स द्वारा विवादग्रस्त भूमि (सरकारी भूमि) को गैर कानूनी अवैध कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का वाद प्रस्तुत किया गया है जो नियम विरुद्ध होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं हैं। अपीलांट ने जो बिंदु उठाए हैं वे मात्र तकनीकी बिंदु हैं जिनके आधार पर अपीलाधीन आदेश के गुणावगुण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अपीलांट का अपील में मुख्य बिंदु यह है कि अपीलांट अपनी खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम कानासर के खसरा नं. 1711 रकबा 124 बीघा, खसरा नं. 1715 रकबा 36 बीघा पर काश्त कर रहा है तथा खसरा नं. 1711/3 में अपीलांट्स का विद्युत कनेक्शन है। इस भूमि के चिपते ही पड़ौस में खसरा नं. 1713 रकबा 212 बीघा 8 बिस्वा भूमि किस्म गै.मु. मगरा स्थित है। अपीलार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1711 व 1715 तथा उसके पड़ोस में चिपते ही खसरा नं. 1713 की विधिवत पैमाइस आज दिन तक नहीं हुई है व मौके पर भूमि एक ही चक के रूप में स्थित है। रेस्पोडेंट द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपीलार्थी की खातेदारी भूमि को खसरा नं. 1713 मानकर अपीलार्थी को नोटिस जारी कर बेदखल किया जा रहा है। इस आधार पर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र पेश किया है उसमें खसरा नं. 1713 की 150 बीघा भूमि पर कब्जे के आधार पर एवं खातेदारी अधिकारों की घोषणा के दावे के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है। इस प्रकार अपील के तथ्य एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में भिन्नता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवेजों के आधार पर एवं रेस्पो. सं. 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जबाब के आधार पर प्रार्थी खसरा नं. 1713 की 150 बीघा भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

काबिज रहा था जिसे बेदखल किया जा चुका है। अतः अपीलांट/प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी अपीलांट के पक्ष में नहीं पाया जाता है। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत मौका फर्द से भी यह स्पष्ट हो चुका है कि अपीलांट का ट्यूब वैल खसरा नं. 1711/3 में खुदा हुआ है लेकिन उसका विद्युत घर आंशिक रूप से खसरा नं. 1713 गै.मु. मगरा (राजकीय भूमि) एवं आंशिक रूप से खसरा नं. 1711/3 स्वयं की खातेदारी भूमि में हैं।

9 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील में प्रार्थना पत्र के तथ्यों से भिन्न तथ्य को प्रस्तुत करके राजकीय भूमि खसरा नं. 1713 की भूमि पर स्थगन प्राप्त करना चाहता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय की तकनीकी त्रुटियों का सहारा नहीं ले सकता है। इस प्रकरण में अपीलांट्स के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी सिद्ध नहीं होता है। अतः अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बाप का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2017 का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

28/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/9/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर